

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. – 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 328/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 29.09.2026

थाना- तहबरपुर, जनपद- आजमगढ़

- ☐ तहबरपुर पुलिस की मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपये के इनामिया अन्तर्जनपदीय चोर गिरोह के 02 शास्त्रि अभियुक्त घायल/गिरफ्तार; 02 तमंचे, 05 कारतूस व ₹15,250 नकद बरामद।
- ☐ पूर्व में अहरौला एवं तहबरपुर पुलिस की कार्रवाई में गिरोह के 04 सदस्य गिरफ्तार; अब तक गिरोह के कुल 06 सदस्य गिरफ्तार।
- ☐ SUV से रेकी कर रात्रि में छत/पीछे के रास्ते घरों में घुसकर मशीन से ताले काटते थे; आजमगढ़ सहित 05 जनपदों में चोरी की घटनाओं का खुलासा।
- ☐ गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अलीगढ़, आजमगढ़ एवं अम्बेडकरनगर में कुल 20 मुकदमे दर्ज— दिलशाद पर 13 तथा सोनू अली उर्फ असगर पर 07 मुकदमे।

पूर्व की घटना/ इतिहास का विवरण

थाना अहरौला क्षेत्र में दिनांक 14/15.08.2026 की रात्रि ग्राम पूराचिन्तू (भवरूपुर) में घर की छत के रास्ते प्रवेश कर दरवाजा तोड़कर बक्से एवं अलमारी से जेवरात व नगदी चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 276/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

इसी प्रकार ग्राम भवरूपुर में दिनांक 14/15.08.2026 की रात्रि घर में घुसकर बक्से, अटैची एवं अलमारी से जेवरात व नगदी चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 277/2026 धारा 305(ए)/334(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

थाना तहबरपुर क्षेत्र में दिनांक 17.07.2026 की रात्रि ग्राम ओहनी रामेश्वरपुर में घर की छत के रास्ते प्रवेश कर आलमारी एवं बाक्स का ताला तोड़कर सोने के आभूषण व ₹45,000 नगद चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 114/2026 धारा 305, 331(4) बीएनएस तथा दिनांक 22.07.2026 को ग्राम रमनीपुर में घर के पीछे के रास्ते से घुसकर अलमारी से जेवरात एवं अन्य सामान चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 116/2026 धारा 305, 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। जिसके संबंध में लगातार गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा दबिश दी जा रही थी।

➡ ☐ दिनांक 20.08.2026 को थाना अहरौला एवं थाना तहबरपुर पुलिस की अलग-अलग मुठभेड़ों में अन्तर्जनपदीय चोर गिरोह के 04 सदस्य—

1. दिलकस पुत्र नफीस, निवासी ग्राम मिलक रोहदी, थाना सुभाषनगर, जनपद बरेली, उम्र करीब 21 वर्ष।
2. साहिल पुत्र निशाक, निवासी ग्राम रामनगर, थाना सुभाषनगर, जनपद बरेली, उम्र करीब 22 वर्ष।
3. वाजिद पुत्र नसीरुद्दीन, निवासी ग्राम नगरिया कला, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली, उम्र करीब 23 वर्ष।
4. फैजान पुत्र फरियाद, निवासी ग्राम रामगंगा, थाना सुभाषनगर, जनपद बरेली, उम्र करीब 27 वर्ष।

को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार/घायल अभियुक्तों के कब्जे से 03 अदद अवैध तमंचे, जिन्दा एवं खोखा कारतूस, चोरी के सोने-चांदी के जेवरात, ₹29,230/- नकद, XUV-500 वाहन, 05 मोबाइल फोन एवं चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद किये गये थे।

➡️ □ उक्त प्रकरण में दिलशाद पुत्र नसरुद्दीन, निवासी नगरिया कला, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली, उम्र करीब 22 वर्ष; सोनू अली उर्फ असगर पुत्र शमशेर, निवासी बजेड़ा भगवानपुर, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 27 वर्ष; आफताब पुत्र जाकिर, निवासी चौबारी, थाना सुभाषनगर, जनपद बरेली तथा नेसार पुत्र नसीर, निवासी नगरिया कला, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली फरार चल रहे थे। उक्त फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा पूर्व में 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसके क्रम में पुलिस टीमों द्वारा लगातार गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28/29.09.2026 की रात्रि में थाना तहबरपुर पुलिस क्षेत्र में चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में भ्रमणशील थी। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में वांछित अभियुक्त करियाबर गांव के पास सर्विस लेन पर मौजूद हैं तथा पुनः किसी घटना की रेकी कर रहे हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष तहबरपुर आदित्य कुमार सिंह, उ०नि० सूर्य पाल, उ०नि० लोकेश मणि त्रिपाठी एवं पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गयी।

पुलिस टीम के अनुसार, पुलिस को देखकर दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी को लक्ष्य कर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की गयी, जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगने से घायल हो गये। लगभग 03:15 बजे दोनों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर तत्काल उपचार हेतु सीएचसी तहबरपुर भेजा गया।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. दिलशाद पुत्र नसरुद्दीन, निवासी नगरिया कला, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली, उम्र करीब 22 वर्ष (बाएँ पैर में)
2. सोनू अली उर्फ असगर पुत्र शमशेर, निवासी बजेड़ा भगवानपुर, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 27 वर्ष (दाहिने पैर में)

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि गिरोह के सदस्य हाईवे एवं एक्सप्रेस-वे के आसपास SUV वाहन खड़ा कर नजदीकी गांवों में सम्पन्न एवं आसानी से चोरी किये जा सकने वाले मकानों की रेकी करते थे। इसके बाद रात्रि में छत अथवा पीछे के रास्ते से घर में प्रवेश कर ताला काटने वाली मशीन से दरवाजे, बक्से एवं अलमारी के ताले काटकर सोने-चांदी के आभूषण एवं नकदी चोरी करते थे। चोरी करने के बाद सभी सदस्य निर्धारित स्थान पर पहुंचते थे, जहां SUV वाहन चालक उन्हें लेकर मौके से फरार हो जाता था। चोरी किये गये माल को बेचकर प्राप्त धनराशि आपस में बांट लेते थे तथा उसका उपयोग अपने खर्च एवं पुनः चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में करते थे। अभियुक्तों द्वारा आजमगढ़ के अलावा गाजीपुर, बलिया, जौनपुर एवं अम्बेडकरनगर जनपदों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देना बताया गया है।

पूछताछ एवं बरामदगी के आधार पर थाना क्षेत्र की 02, थाना तहबरपुर क्षेत्र की 02, थाना बिलरियागंज क्षेत्र की 02 तथा जनपद अम्बेडकरनगर के थाना जैतपुर क्षेत्र की 01 चोरी की घटना का अनावरण हुआ है।

आपराधिक इतिहास-

01. दिलशाद पुत्र नसीरुद्दीन, निवासी नरिया कला, थाना फतेहगंज, जनपद बरेली

1. मु.अ.सं. 219/25, धारा 112/305/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस, थाना इगलास, जनपद अलीगढ़।
2. मु.अ.सं. 279/25, धारा 112/305/317(2)/317(4)/317(5)/331(4) बीएनएस, थाना इगलास, जनपद अलीगढ़।
3. मु.अ.सं. 299/25, धारा 112/305/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस, थाना इगलास, जनपद अलीगढ़।
4. मु.अ.सं. 355/25, धारा 112/305/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस, थाना इगलास, जनपद अलीगढ़।
5. मु.अ.सं. 359/25, धारा 112/305/317(2)/317(4)/317(5)/331(4) बीएनएस, थाना इगलास, जनपद अलीगढ़।
6. मु.अ.सं. 383/25, धारा 112/305/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस, थाना इगलास, जनपद अलीगढ़।
7. मु.अ.सं. 276/2026, धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़।
8. मु.अ.सं. 277/2026, धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़।

9. मु.अ.सं. 195/26, धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
10. मु.अ.सं. 124/26, धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।
11. मु.अ.सं. 187/26, धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
12. मु.अ.सं. 114/26, धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
13. मु.अ.सं. 116/26, धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

02. सोनू अली पुत्र शमसेर, निवासी खेड़ाबखेड़ा, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर

1. मु.अ.सं. 276/2026, धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़।
2. मु.अ.सं. 277/2026, धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़।
3. मु.अ.सं. 195/26, धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
4. मु.अ.सं. 124/26, धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।
5. मु.अ.सं. 187/26, धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
6. मु.अ.सं. 114/26, धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
7. मु.अ.सं. 116/26, धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

- 02 अदद देशी तमंचा .315 बोर
- 02 अदद खोखा कारतूस
- 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- ₹15,250/- नकद
- घटनास्थल से फील्ड यूनिट द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलित किये गये।

फरार अभियुक्त

- 1- आफताब पुत्र जाकिर, निवासी चौबारी, थाना सुभाषनगर, जनपद बरेली।
 - 2- नेसार पुत्र नसीर, निवासी नगरिया कला, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली।
- आजमगढ़ पुलिस द्वारा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

- ☐ मु0अ0सं0 114/2026 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस, थाना तहबरपुर।
- ☐ मु0अ0सं0 116/2026 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस, थाना तहबरपुर।
- ☐ मु0अ0सं0 135/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट तथा धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी, थाना तहबरपुर।

गिरफ्तारी/ मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम

- 1-थानाध्यक्ष आदित्य कुमार सिंह, उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी, उ0नि0 सूर्य पाल, का0 अनूप रावत, का0 आनन्द राय, का0 उज्जवल मिश्रा, का0 विशाल कुमार यादव, का0 सुनील यादव, का0 वन्दन सिंह एवं चालक का0 हरदीश सिंह, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
- 2- विशेष टीम/चोरी अनावरण- प्रभारी उपनिरीक्षक शशिकांत, मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार यादव, आरक्षी विशाल मल्ल, आरक्षी बसंत लाल, आरक्षी विकास ठाकुर एवं सर्विलांस टीम के मुख्य आरक्षी उमेश कुमार यादव ।